Shikshaparivar.com
A Portal With Education Total

दिनॉक 6.1.15

नमस्कार मित्रों ,

दो दिन बहुत ज्यादा व्यस्तता के चलते आपको कोई सूचना नही दे पाया उसके लिए माफी चाहता हुँ । मित्रों 3.1.15 को आप सब के सहयोग से हमने जो कुछ किया , वह आदर्श सोच मे गलत हो सकता है , लेकिन यह कडवी सच्चाई है कि उँचा सुनने वालों को उँचाई पर जा कर सुनाये बिना वे सुनते नही , तो गलत क्या किया ? और यह सच भी साबित हुआ , जो काम हम पिछले एक तीन महीने से नही कर पाये वे एक दिन मे हो गया । रही बात किसी साथी या हम पर मुकदमों की तो यह आम बात है लेकिन न किसी पर कार्यवाही हुई है और ना ही होगी । और उनको किसी खर्चे से घबराने की जरूरत नही । हम करेगे सब ।

यदि ऐसे ही डरते तो हमारा देश आजाद ही नही होता । खैर ये विवाद का विषय हो सकता है लेकिन मै आप सभी का जिन्हौने हमारा साथ दिया ओर जिन्हौने डर के मारे अथवा किसी अन्य कारण से हमारा साथ नही दिया, उनका भी धन्यवाद करना चाहुँगा ।

दोस्तो कल की वार्ता पूर्णत : कामयाब रही । हम वास्तव मे जो चाहते थे, वो ही हुआ । हम चाहते थे कि हमे कुछ संस्थाओं की तरह चौर नही समझा जावे ? इस एक्ट मे जो विसंगतियॉ है उन्हे दूर किया जाये और फीस निर्धारण वाजिब तरीके से किया जाये तो हमे कोई दिक्कत नही । दूसरा जिन संस्थाओ ने आपत्ति दर्ज कराई थी एवं पोर्टल नही भरा था, उन पर कार्यवाही नही की जावे एवं जिन संस्थाओं की फीस पोर्टल भरने अथवा नही भरने के कारण फीस कम हो गई है , उनकी फीस रिव्यू की जाये ।

Shikshaparivar.com
A Portal With Education Total

दोस्तो मै धन्यवाद देना चाहुँगा अधिकारियों को कि उन्हौने न केवल सम्मानजनक तरीके से हमारी बात सुनी बल्कि हमारी तीनो बात को मान लिया एवं बहुत ही व्यवहारिक तरीके से कहा –

1. जिन संस्थाओं को कॉमन नोटिस मिला है , उनको डरने की जरूरत नही उनका कुछ नही बिगडेगा ।
2. दूसरा जिन संस्थाओं ने पोर्टल नही भरा एवं व्यक्तिगत नोटिस मिला है वे उसका जवाब दे देवे कि उन्होने विसगतियों वाले लेटर के चलते नही भरा । लेकिन ऐसी संस्थाओं को कहे कि जवाब जरूर देवे ।
3. जिनकी फीस पोर्टल नही भरने के कारण से कम हुई है और उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो वे फीस रिव्यू के लिए आवेदन देवे उनके आवेदन पर विचार कर फीस मे नियमानुसार बढोतरी कर दी जायेगी ।

4. लेकिन जिन संस्थाओं ने 2012 मे कम फीस ले रहे थे और आरटीई के चक्कर मे ज्यादा कर दी उनको कोई राहत नही देगे । हम भी माफी चाहेगे उनके लिए ।
5. जहॉ तक फीस एक्ट मे विसंगतियों के चलते संशोधन की बात है , उसके लिए वे तैयार है लेकिन उन्हौने स्पष्ट किया कि आपको पूरी तैयारी एवं सबूतों के साथ एक्ट के प्रत्येक प्रावधान पर क्या–क्या संशोधन चाहिए , उसका सबूत देना होगा एवं उस पर हम कार्यवाही कर आपको जवाब देगे ।
6. दोस्तो सभी चारो अधिकारियों जिनमे पी.के.गोयल साहब, प्रमुख शासन सचिव प्रारमिभक शिक्षा, नरेश पाल गंगवार साहब, प्रमख शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा व फीस कमेटी के सदस्य सचिव बी.आर. चौधरी साहब एवं फीस कमेटी के अनुभागाधिकारी श्री देवेन्द्र जी उपस्थित थे ।
7. हमारी तरफ से हमारी अध्यक्षा हेमलता जी, श्री शैलेश जी,श्री दिलीप मोदी जी, श्री राजेश जी शर्मा , श्री राजीव जी एवं मै उपस्थित था ।

मेरा आप सभी साथियों से इतना सा आग्रह है कि यदि हमारे किसी साथी को नोटिस मिला हो तो उसे कहे कि अपनी वेबसाईट शिक्षापरिवार डोट कॉम से जवाब ले कर रजिस्ट्री करवा देवे एवं जिनकी फीस कम हुई है वे मै आज कल मे एक आवेदन तैयार करूगॉ उसमे आवेदन कर देवे मै उनकी फीस सही करवा दूगा ।

जहॉ तक आज कल एक खबर अखबारो मे आ रही है कि फीस कमेटी 4500 स्कूलों की मान्यता रदद करने की सिफारिश कोर्ट से करेगी तो आप चिन्ता नही करे कोर्ट मे अपना वकील खडा है उनको जवाब देने के लिए । अपने पहले ही दो केस लगा रखे है ।

धन्यवाद साथियों ।
अनिल शर्मा

Shikshaparivar.com
A Portal With Education Tool